



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)


क्रमांक एफ 2()परावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/एपीओ/स्थाना./पदस्था./2017/2430 जयपुर, दिनांक 31-7-18

—:आदेश:—

निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किये जाते हैं:-


क. स.	नाम अधिकारी सर्वश्री/श्रीमती	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	पिंकी शर्मा	पंचायत समिति झोटवाडा जिला जयपुर	सहायक प्रोफेसर, IGPRS, जयपुर	श्री पी.सी. गोयल के स्थान पर
2.	श्री पी.सी. गोयल	सहायक प्रोफेसर, IGPRS, जयपुर	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज	—

उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा।


(इकबाल खोत)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर, जयपुर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति झोटवाडा जिला जयपुर
11. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
12. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
13. आदेश पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)